

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SOCIAL WELFARE DEPARTMENT)
GLNS COMPLEX, DELHI GATE, NEW DELHI

F. No. 30(405)/Amendment of Rules-MAWPSC2007/DD(SS)/DSW/2015-16

Dated: the ____ 2016

NOTIFICATION

24836-865

19 DEC 2016

F.NO 30(405)/Amendment of Rules-MAWPSC2007/DD(SS)/DSW/2015-16: In exercise of the powers conferred by section 32 read with clause (i) of Section 2 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules to amend the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009 as following, namely:-

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called The Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of rule 22:- In the Delhi Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, after sub- rule (2) of rule 22, the following sub-rules shall be inserted, namely:-
 - (3) (1) **Procedure for eviction from property/residential building of Senior Citizen/Parents, –**
 - (i) A senior citizen may make an application before the Dy. Commissioner/District Magistrate(DM) of his district for eviction of his son and daughter or legal heir from his self acquired property on account of his non-maintenance and ill-treatment.
 - (ii) The Deputy Commissioner/DM shall immediately forward such application to the concerned Sub Divisional Magistrates for verification of the title of the property and facts of the case within 15 days from the date of receipt of such application.
 - (iii) The Sub Divisional Magistrate shall immediately submit its report to the Deputy Commissioner/DM for final orders within 21 days from the date of receipt of the complaint/application.
 - (iv) The Deputy Commissioner/DM during summary proceedings for the protection of senior citizen parents shall consider all the relevant provisions of the said Act 2007. If the Deputy Commissioner/DM is of opinion that any son or daughter or legal heir of a senior citizen/parents is not maintaining the senior citizen and ill treating him and yet is occupying the self acquired property of the senior citizen, and that they should be evicted, the Deputy Commissioner/DM shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause as to why an order of eviction should not be issued against them/him/her.
 - (v) The notice shall–

- (a) specify the grounds on which the order of eviction is proposed to be made ; and
- (b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are , or may be, in occupation of, or claim interest in, the property/premises, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice, being a date not earlier than ten days from the date of issued thereof.

(2) Eviction Order from property/residential building of Senior Citizens/Parent. –

- (i) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance to the notice and any evidence he/she may produce in support of the same and after giving him/her a reasonable opportunity of being heard, the Deputy Commissioner/DM is satisfied that the eviction order needs to be made, the Deputy Commissioner/DM may make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the property/residential building shall be vacated;

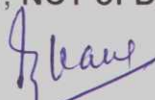
(3) Enforcement of Orders, –

- (i) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction within thirty days from the date of its issue, the Deputy Commissioner/DM or any other officer duly authorized by the Deputy Commissioner/DM in this behalf may evict that person from the premises in question and take possession;
- (ii) The Deputy Commissioner/DM shall have powers to enforce the eviction orders through Police and the Dy. Commissioner of Police concerned shall be bound to carry out execution of the eviction order.
- (iii) The Deputy Commissioner/DM will further handover the property/premises in question to the concerned Senior Citizen.
- (iv) The Deputy Commissioner/DM shall forward monthly report of such cases to the Social Welfare Department by 7th of the following month.

(4) Appeal

- (i) The appeal against the order of Dy. Commissioner/DM shall lie before Divisional Commissioner, Delhi.
- (ii) Provisions regarding disposal of appeal before Appellate Tribunal shall apply mutatis mutandis to the appeals before the Divisional Commissioner, Delhi."

By order and in the name of
Lt. Governor, NCT of Delhi,


(Dr. Dilraj Kaur)
SECRETARY
(Social Welfare)

F. No. 30(405)/Amendment of Rules-MAWPSC2007/DD(SS)/DSW/2015-16

Dated

Copy to:

24836-865 19 DEC 2016

2. Secretary to Chief Minister office, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-02
3. Secretary to Dy. Chief Minister Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-02
4. Secretary to Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
5. Secretary to all Ministers, GNCT of Delhi
6. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-02
7. All Secretaries, Govt. of NCT of Delhi
8. All Divisional Commissioners, Govt. of NCT of Delhi.
9. All Dy. Commissioners, Govt. of NCT of Delhi.


(Dr. Dilraj Kaur)
SECRETARY
(Social Welfare)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
राजकीय लेडी नौएसी स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-100 002.

सं0फा0 30(405)/नियम में संशोधन-एमएडब्ल्यूपीएससी 2007/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2015 16 24836-865 दिनांक:

19 DEC 2016

अधिसूचना

सं0फा0 30(405)/नियम में संशोधन-एमएडब्ल्यूपीएससी 2007/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2015 16 - भरण-पोषण तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली भरण-पोषण तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली, 2009 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को दिल्ली भरण-पोषण तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण (संशोधन), नियमावली, 2016 कहा जायेगा।
(2). ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **नियम 22 का संशोधन :-** दिल्ली भरण-पोषण तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली, 2009 में, 22 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को सन्निविष्ट किया जाएगा:-
(3)(1) **वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता की संपत्ति/आवासीय भवन से बेदखली की प्रक्रिया:-**
 - (i) वरिष्ठ नागरिक अपनी भरण पोषण वंचना तथा दुर्व्यवहार के कारण अपने पुत्र और पुत्री या कानूनी वारिस को स्व-अर्जित संपत्ति से बेदखल करने के लिए अपने जिले के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) को आवेदन कर सकता है।
 - (ii) उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को संबंधित उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट को संपत्ति के स्वामित्व के सत्यापन तथा मामले के तथ्यों को 15 दिन की अवधि के भीतर पता लगाने के लिये भेजेगा।
 - (iii) उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट शिकायत/आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के अंदर अंतिम आदेश के लिए उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत करेगा।
 - (iv) उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ नागरिक/ माता-पिता को संरक्षण प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम, 2007 के सभी संबंधित प्रावधानों पर विचार करेगा। यदि उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट का मत है कि पुत्र या पुत्री या कानूनी वारिस वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता का भरण पोषण वंचना तथा दुर्व्यवहार करते हैं और तब भी वरिष्ठ नागरिक की स्व-अर्जित संपत्ति पर काबिज हैं और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए तो उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट यहां आगे उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एक लिखित नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजेगा कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित क्यों न किया जाए, इसका कारण बताएं।
- (vi) **नोटिस में सम्मिलित होगा-**
 - (क) उन आधारों का उल्लेख करना जिसके आधार पर बेदखली के आदेश करने का प्रस्ताव है; और
 - (ख) सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास संपत्ति/परिसर का कब्जा है या हो सकता है या उसमें हित दावा किया गया है तो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि जो कि नोटिस मिलने की तिथि से दस दिन तक या उससे पहले होगी, तक प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध, यदि कोई है, कारण बताएगा।

- (2) **वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता की संपत्ति/आवासीय भवन से बेदखली आदेश-**

- (i) यदि कारण बताओं नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए कारणों, यदि कोई है, तथा इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के पश्चात् यदि उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट का मत है कि बेदखली का आदेश दिया जाना चाहिए तो उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट उसमें कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए बेदखली के आदेश देते हुए निर्देश दे सकता है कि संपत्ति/आवासीय भवन को खाली किया जाए।

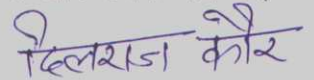
(3) **आदेशों को लागू करना।-**

- (i) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश को जारी करने की तिथि से तीस दिनों के अंदर अनुपालन करने से मना करता है या असफल रहता है तो उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट या उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति को परिसर से बाहर कर सकता है और कब्जा ले सकता है;
- (ii) उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस के माध्यम से बेदखली के आदेशों को लागू करने की शक्तियों प्रदत्त है तथा संबंधित उपायुक्त पुलिस बेदखली आदेश के निष्पादन के लिये बाध्य होगा।
- (iii) इसके बाद उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट संबंधित वरिष्ठ नागरिक को संपत्ति/परिसर सौंपेगे।
- (iv) उप-आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट आगामी माह की 7 तारीख तक समाज कल्याण विभाग को ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट अग्रेषित करेंगे।

(4) **अपील**

- (i) उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध मंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील करनी की जायेगी।
- (ii) अपीलीय न्यायधिकरण के समक्ष अपील के निपटान से संबंधित प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित मंडलीय आयुक्त के समक्ष की गई अपील पर भी लागू होंगे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,



(डा. दिलराज कौर)

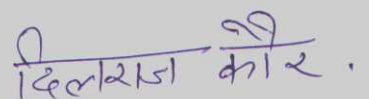
सचिव (समाज कल्याण)

सं0फा0 30(405)/नियम में संशोधन-एमएडब्ल्यूपीएससी 2007/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2015-16/24836-865 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली-54.
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. सचिव, समस्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. समस्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. समस्त उपायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. समस्त उपायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

19 DEC 2016



(डा. दिलराज कौर)

सचिव (समाज कल्याण)